लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (निर्वाचन) (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – अरविन्द कुमार पोसवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
022/2022 (GCMS 2022/75)	04.04.2022	27.04.2022

अनवान

निलेश साद पिता गौतम लाल साद निवासी राजपुर वार्ड–1, जिला डूंगरपुर
अपीलांट

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (निर्वाचन) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़
रेस्पोर्डेट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

–:: निर्णय ::–

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी (निर्वाचन) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 03.02.2022 को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पर 30 दिवस की अवधि में भी अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्र क्रमांक/सरिश्ता/प्र.सं./022/2022(सू.अ.)(26.04.2022)/118 दिनांक 05.04.2022 से लोक सूचना अधिकारी (निर्वाचन) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को दिनांक 26.04.2022 से पूर्व कमेंट्स/टिप्पणी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी समसंख्यक पत्रांक से नियत दिनांक 26.04.2022 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

रजिस्टर्ड पत्र से सूचना देने के बावजूद अपीलार्थी नियत दिनांक को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित नहीं हुआ। लोक सूचना अधिकारी (निर्वाचन) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ ने अपने पत्र क्रमांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2022/739 दिनांक 25.04.2022 से कमेंट्स प्रेषित किये जो इस प्रकार हैः–

1. यह कि प्रार्थी श्री निलेश साद पिता गौतमलाल साद निवासी राजपुर, वार्ड नं.1, डूंगरपुर (राजस्थान) द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन पत्र दिनांक 03.02.2022 इस कार्यालय में दिनांक 09.02.2022 को प्राप्त होना सही है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

2. यह कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र से वांछित के संबंध में प्रभारी अधिकारी, जिला निर्वाचन कार्यालय, चित्तौड़गढ़ को इस कार्यालय के पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2022 /157 दिनांक 16.02.2022 से आवेदन पत्र मूल ही भेजकर प्रार्थी को इस संबंध में अवगत कराया गया है। (पत्र की प्रति संलग्न है।)
3. यह है कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र से वांछित सूचना के संबंध में प्रार्थी को अवगत करा दिये जाने से अब इस कार्यालय स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रहती है।
4. अतः अपील पर जवाब स्वीकार कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त योग्य होने से अपील को निरस्त कराने का श्रम करावें।

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील, लोक सूचना अधिकारी (निर्वाचन) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने पत्र क्रमांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2022/739 दिनांक 25.04.2022 से प्रेषित कमेंट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नकों का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यों का चिंतन-मनन किया। जिसके अनुसार अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 03.02.2022 (प्राप्ति दिनांक 09.02.2022) से वांछित सूचना प्रभारी अधिकारी, जिला निर्वाचन कार्यालय, चित्तौड़गढ़ से संबंधित होने से अपीलार्थी का उक्त आवेदन लोक सूचना अधिकारी (निर्वाचन) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने पत्र क्रमांकःएडीएम/पीए/लोसूअ/2022/157 दिनांक 16.02.2022 से प्रभारी अधिकारी, जिला निर्वाचन कार्यालय, चित्तौड़गढ़ को मूल भेजा गया है।

चूंकि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र की सूचना जिला निर्वाचन कार्यालय, चित्तौड़गढ़ से संबंधित है तथा जिला निर्वाचन कार्यालय, चित्तौड़गढ़ से वांछित सूचनाऐं प्राप्त कर आवेदक को उपलब्ध कराई जाने की जिम्मेदारी लोक सूचना अधिकारी (निर्वाचन) की बनती है।

निष्कर्षतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (निर्वाचन) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना प्रभारी अधिकारी, जिला निर्वाचन कार्यालय, चित्तौड़गढ़ से 15 दिवस में प्राप्त कर अपीलार्थी को निः शुल्क उपलब्ध करा पालना से अवगत करावें।

निर्णय की प्रति अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी (निर्वाचन) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ एवं अपीलांट को जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक <u>**27.04.2022**</u> को लिखाया जाकर सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

-SD-

(अरविन्द कुमार पोसवाल)(I.A.S.)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)